(17)

रजि. नं. एल. डब्लू/एन. पी. 899
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 अगस्त, 1997
श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1257/सत्रह-वि-1—1(क) 18-1997
लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1997]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,--

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

"(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल को छोड़कर उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तरांचल के सम्बन्ध में धारा 5-क के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) से है।"

(ख) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(ङ-1) "उत्तरांचल" का तात्पर्य ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र से है जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के जिले समाविष्ट हैं।"

नयी धारा 5-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्:--

उत्तरांचल के लिए आयोग की स्थापना

"5-क (1) धारा 5 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उत्तरांचल के लिए एक आयोग की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) कहा जायगा।

(2) धारा 5 के अधीन स्थापित आयोग, उपधारा (1) के अधीन आयोग की स्थापना के दिनांक से, उत्तरांचल के सम्बन्ध में आयोग न रह जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकारिता ऐसे मामलों में लागू रहेगी जहां चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) की स्थापना के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसी स्थापना के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायगी जहां भर्ती,--

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर की जानी हो और लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गई हो।"

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1257(2)/XVII-V-1—1(KA)-18-1997

Dated Lucknow, August 16, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinastha Seva Chayan Aayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 1997

[U. P. Act No. 19 of 1997]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988.

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 7 of 1988

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *For* clause (*b*) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*b*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission established under section 5, with respect to the territorial area of Uttar Pradesh excluding Uttaranchal and the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Uttaranchal) established under section 5-A with respect to Uttaranchal;"

(*b*) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*e*-1) 'Uttaranchal' means the territorial area comprising the districts of Almora, Chamoli, Dehradun, Nainital, Pauri-Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garhwal, Udham Singh Nagar and Uttarkashi."

Insertion of new section 5-A

3. *After* section 5 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"5—A (1) Notwithstanding anything contained in section 5, there shall be established a Commission for Uttaranchal to be known as the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Uttaranchal).

Establishment of Commission for Uttaranchal

(2) The Commission established under section 5 shall with effect from the date of establishment of the commission under sub-section (1), cease to be the Commission in respect of Uttaranchal.

(3) The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission shall continue to have jurisdiction in cases in which selection process has been initiated before the establishment of Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Uttaranchal) and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law as they stood before such establishment.

Explanation : For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where recruitment is to be made on the basis of—

(I) written test or interview only, the written test or the Interview, as the case may be, has started, or

(II) both written test and interview, the written test has started."

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू० पी०—ए०पी० 139 सा० विभा०—(990)—1997—850 (मेक०)।